रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261541 SG-DL-E-11032025-261541

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 440 [N. C. T. D. No. 440

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा सचिवालय अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. 23/19/प्रोरो./2025/विसस—8/विधायी/1746.—माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2025 को जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

''आदेश

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 6 की उप–धारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ

> ह0 / – (विनय कुमार सक्सेना) उपराज्यपाल, दिल्ली"

सदानंद साह, उपसचिव (विधायी)

1639 DG/2025 (1)

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2025

F.No. 23/19/Proro./2025/LAS-VIII/Leg./1746.—The following order of the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi dated 10 March, 2025 is hereby published for general information: -

"ORDER

In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of section 6 of The Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I, hereby prorogue the First Session of the Eighth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect.

Sd/-(Vinai Kumar Saxena) Lieutenant Governor, Delhi"

SADANAND SAH, Dy. Secy. (Legislation)